



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16032024-253087
CG-DL-E-16032024-253087

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1355]
No. 1355]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 15, 2024/फाल्गुन 25, 1945
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 15, 2024/PHALGUNA 25, 1945

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2024

का.आ. 1421(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 25 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 16 की उप-धाराओं (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा चमड़े और अन्य सामग्री से बने फुटवियर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 के अधिक्रमण में, सिवाय ऐसे कार्यों के जो अधिक्रमण से पहले किए गए अथवा जिन्हें किए जाने से छोड़ दिया गया, केंद्र सरकार का ब्यूरो के साथ परामर्श करने के बाद यह मत है कि यह जनहित में आवश्यक अथवा हितकर है, अतः एतद्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, नामतः—

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ.— (1) इस आदेश को चमड़े और अन्य सामग्री से बने फुटवियर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024 कहा जाएगा।

(2) यह आदेश दिनांक 01 अगस्त, 2024 से प्रभावी होगा।

2. मानक चिह्न का अनिवार्य प्रयोग.— तालिका के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट वस्तुएं या सामान उक्त तालिका के कॉलम (3) में उल्लिखित तदनुरूपी भारतीय मानक के अनुरूप होंगे तथा उनमें भारतीय मानक ब्यूरो (अनुपालन मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की स्कीम-I के अनुसार ब्यूरो के लाइसेंस के तहत मानक चिह्न लगा होगा।

बशर्ते कि निर्यात की जाने वाली वस्तुओं या सामान पर इस आदेश में से कुछ भी लागू नहीं होगा।

बशर्ते यह भी कि समय-समय पर यथासंशोधित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) के अनुच्छेद 7 के तहत यथा परिभाषित सूक्ष्म और लघु विनिर्माण इकाइयों पर इस आदेश में से कुछ भी लागू नहीं होगा।

बशर्ते इस बात के भी कि यदि ब्यूरो द्वारा प्रमाणित कोई विनिर्माता अथवा ऐसा विनिर्माता जिसने ब्यूरो में प्रमाणन के लिए आवेदन किया है, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 (2016 का 11) की धारा 18 की उप-धारा (4) के तहत यह आदेश लागू होने से पहले, भारतीय मानक ब्यूरो के चिह्न के बिना विनिर्मित अथवा आयातित फुटवियर उत्पादों के अपने पुराने स्टॉक की घोषणा करता है, तो ऐसे विनिर्माता को ऐसे घोषित स्टॉक को 30 जून, 2025 तक बेचने अथवा प्रदर्शित करने अथवा बेचने का प्रस्ताव करने की अनुमति दी जाएगी।

3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण.— भारतीय मानक ब्यूरो तालिका के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं या सामान के लिए प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण होगा।

तालिका

क्रम सं.	वस्तुएं अथवा सामान	भारतीय मानक	भारतीय मानक का शीर्षक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	लेदर सेफ्टी बूट्स और शूज़	आईएस 1989 (भाग-1): 1986	खनिकों के लिए लेदर सेफ्टी बूट्स और शूज़ हेतु विशेषताएं भाग 1
		आईएस 1989 (भाग -2): 1986	भारी धातु उद्योग के लिए लेदर सेफ्टी बूट्स हेतु विशेषताएं भाग 2
2.	कैनवस शूज़ रबड़ सोल	आईएस 3735: 1996	कैनवस शूज़, रबड़ सोल- विशेषताएं
3.	कैनवस बूट्स रबड़ सोल	आईएस 3736: 1995	कैनवस बूट्स, रबड़ सोल- विशेषताएं
4.	खनिकों के लिए सेफ्टी बूट्स	आईएस 3976: 2018	खनिकों के लिए सेफ्टी बूट्स - विशेषताएं
5.	डायरेक्ट मोल्लेड रबड़ सोल वाले लेदर सेफ्टी फुटवियर	आईएस 11226: 1993	डायरेक्ट मोल्लेड रबड़ सोल वाले लेदर सेफ्टी फुटवियर - विशेषताएं
7.	डायरेक्ट मोल्लेड पॉलीमेरिक सोल वाले लेदर सेफ्टी और प्रोटेक्टिव फुटवियर	आईएस 14544: 2022	डायरेक्ट मोल्लेड पॉलीमेरिक सोल वाले लेदर सेफ्टी और प्रोटेक्टिव फुटवियर – विशेषताएं
8.	स्पोर्ट्स फुटवियर	आईएस 15844 (भाग -1): 2023	स्पोर्ट्स फुटवियर – भाग 1 सामान्य प्रयोजन
		आईएस 15844 (भाग -2): 2023	स्पोर्ट्स फुटवियर – भाग 2 परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स फुटवियर
		आईएस 15844 (भाग 3): 2024	स्पोर्ट्स फुटवियर - भाग 3 प्रोफेशनल स्पोर्ट्स फुटवियर
9.	पीयू-रबड़ सोल वाले हाई एंकल टेक्टिकल बूट्स	आईएस 17012: 2018	पीयू-रबड़ सोल वाले हाई एंकल टेक्टिकल बूट्स – विशेषताएं
10.	एंटी-रायट बूट्स	आईएस 17037: 2018	एंटी-रायट बूट्स – विशेषताएं

11.	रक्षा सेवा और सामान्य प्रयोजन के लिए शूज़	आईएस 17043 (भाग -1): 2024	शूज़- विशेषता भाग 1 रक्षा सेवा के लिए शूज़
12		आईएस 17043 (भाग -2): 2024	शूज़- विशेषता भाग 2 सामान्य प्रयोजन के लिए शूज़

नोट—इस तालिका के प्रयोजन के लिए, समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय मानकों के नवीनतम संस्करण, जैसा कि भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अधिसूचित किए गए हैं, लागू होंगे।

[फा. सं. पी-27025/80/2023-चमड़ा]

राजीव सिंह ठाकुर, अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

Department for Promotion of Industry and Internal Trade

ORDER

New Delhi, the 15th March, 2024

S.O. 1421(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of section 16 read with sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), and in supersession of the Footwear made from Leather and other materials (Quality Control) Order, 2022, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) This Order may be called the Footwear made from Leather and other Materials (Quality Control) Order, 2024.

(2) It shall come into force with effect from the 1st day of August, 2024.

2. Compulsory use of Standard Mark.— Goods or articles specified in the column (2) of the Table shall conform to the corresponding Indian Standard specified in the column (3) of the said Table and shall bear the Standard Mark under a license from the Bureau as per Scheme-I of Schedule-II of Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018:

Provided that nothing in this Order shall apply to goods or articles meant for export:

Provided further that nothing in this Order shall apply to micro and small manufacturing units as defined in section 7 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), as amended from time to time:

Provided also that if any manufacturer certified by the Bureau or any manufacturer who has applied for Certification to the Bureau, declares prior to the Commencement of this Order, under sub-section (4) of section 18 of the Bureau of Indian Standards, Act 2016 (11 of 2016) its old stock of footwear products without Bureau of Indian Standards Mark manufactured or imported prior to such commencement, such manufacturer shall be permitted to sell or display or offer to sell such declared stock upto the 30th June, 2025.

3. Certification and enforcement authority.— The Bureau of Indian Standards shall be the certifying and enforcing authority for the goods or articles specified in the column (2) of the Table.

TABLE

Sl. No.	Goods or articles	Indian Standard	Title of Indian Standard
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Leather safety boots and shoes	IS 1989(Part-1): 1986	Specification for leather safety boots and shoes Part 1 for miners
		IS 1989(Part-2): 1986	Specification for leather safety boots and shoes Part 2 for heavy metal industries
2.	Canvas Shoes Rubber Sole	IS 3735: 1996	Canvas Shoes, Rubber Sole- Specification

3.	Canvas Boots Rubber Sole	IS 3736: 1995	Canvas Boots, Rubber Sole- Specification
4.	Safety Boots for Miners	IS 3976: 2018	Safety Boots for Miners- Specification
5.	Leather safety footwear having direct moulded rubber sole	IS 11226: 1993	Leather safety footwear having direct moulded rubber sole- Specification
7.	Leather safety and protective footwear with direct moulded Polymeric sole	IS 14544: 2022	Leather safety and protective footwear with direct moulded Polymeric Sole – Specification
8.	Sports Footwear	IS 15844(Part-1): 2023	Sports Footwear - Part 1 General Purpose
		IS 15844(Part-2): 2023	Sports Footwear – Part 2 Performance Sports Footwear
		IS 15844(Part 3): 2024	Sports Footwear-Part 3 Professional Sports Footwear
9.	High ankle tactical boots with PU - Rubber sole	IS 17012: 2018	High ankle tactical boots with PU - Rubber Sole – Specification
10.	Anti-riot shoes	IS 17037: 2018	Anti-riot shoes – Specification
11.	Shoes for Services and for General Purpose	IS 17043 (Part-1): 2024	Shoes- Specification Part 1 Shoes for Services
12.		IS 17043 (Part-2): 2024	Shoes- Specification Part 2 Shoes for General Purpose

Note : For the purposes of this Table, the latest version of Indian Standards, as amended from time to time, as notified by the Bureau of Indian Standards, shall apply.

[F. No. P-27025/80/2023-Leather]

RAJEEV SINGH THAKUR, Addl. Secy.